SIV No. 04/2022

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक / सतर्कता
सूबेदारगंज, प्रयागराज

पत्र सं.–20210900103/PC/V4/N/JHS

दिनांक– 12.10.2022

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक,
उत्तर मध्य रेलवे,
प्रयागराज।

विषयः– Non-Referral Railway Patients का इलाज के बाद उनके प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान संबंधी "प्रणाली सुधार" के संबंध में सुझाव।

उपरोक्त विषय में सतर्कता टीम द्वारा रेलवे चिकित्सालय के एक मंडल यूनिट में Non-Referral Railway Patients के इलाज के बाद उनके प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान संबंधी कार्यप्रणाली की जॉच की गयी। जॉच में पाया गया कि कुछ Non-Referral Railway Patients के प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान में 4–5 माह का विलंब हो रहा है एवं चिकित्सा विभाग में Non-Referral Railway Patients का समय से भुगतान सुनिश्चित करने वाले संबंधित कर्मचारी अपनी सुविधानुसार प्रतिपूर्ति दावा अभ्यावेदनों का 'प्रतिपूर्ति दावा रजिस्टर' में इन्ट्री 4–5 माह विलंब से करते है, जो यह प्रदर्शित करता है कि चिकित्सा विभाग में Non-Referral Railway Patients के इलाज बाद प्राप्त 'प्रतिपूर्ति अभ्यावेदनों' की समुचित निगरानी नहीं की जा रही है।

अतः Non-Referral Railway Patients का इलाज के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों को प्रतिपूर्ति दावा रजिस्टर में समुचित कालम बनाते हुए प्राप्त होने के समय ही दर्ज की जाय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा उसकी मासिक समीक्षा / निगरानी सुनिश्चित किये जाने का सुझाव प्रस्तावित है, जिससे Non-Referral Railway Patients के प्रतिपूर्ति भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो एवं दावों का निस्तारण / भुगतान में पारदर्शिता लायी जा सके। प्रतिपूर्ति दावा रजिस्टर का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रणाली सुधार(SIV) को उत्तर मध्य रेलवे के सभी संबंधित युनिटों में लागू कराने हेतु निर्देशित करें एवं SIV के लागू होने पर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–प्रोफार्मा–01

12/10/22

(इन्द्रप्रीत कटियार)
मुख्य सतर्कता अधिकारी/ भं.

प्रोफार्मा—01

विषयः— नॉन—रेफरल रेलवे मरीजों का ईलाज के बाद 'प्रतिपूर्ति दावा भुगतान' से संबंधित 'प्रणाली सुधार' के संबंध हेतु प्रोफार्मा।

क्र. स.	चिकित्सा यूनिट में प्रतिपूर्ति अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि	प्रतिपूर्ति आवेदक का नाम एवं पदनाम	प्रतिपूर्ति विवरण (अस्पताल/ दावा राशि आदि)	लेखा विभाग में वित्तीय सहमति हेतु भेजने की तिथि	लेखा विभाग प्राप्ति की तिथि	लेखा विभाग की टिप्पड़ी	दुबारा वित्तीय सहमति हेतु भेजने की तिथि(यदि जरुरत हो)	वित्तीय सहमति की तिथि	भुगतान हेतु कार्मिक विभाग में भेजने की तिथि	संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर	रिमार्क
1.											
2.											